न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 22/2025 तारीख रजू 20.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. हेमन्त कुमार मंगल पुत्र श्री भगवान प्रसाद मंगल (विक्रेता) मैसर्स भगवान प्रसाद हेमन्त कुमार, मैन मार्केट, गर्ल्स स्कूल के सामने, बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर निवासी 494 महाजन मोहल्ला, बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. भगवान प्रसाद पुत्र श्री बृजमोहन (प्रोपराईटर) मैसर्स भगवान प्रसाद हेमन्त कुमार, मैन मार्केट,गर्ल्स स्कूल के सामने, बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 29.07.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 29.10.2024 को दोपहर 03.41 पी.एम. पर मैसर्स भगवान प्रसाद हेमन्त कुमार, मैन मार्केट, गर्ल्स स्कूल के सामने, बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम हेमन्त कुमार मंगल पुत्र श्री भगवान प्रसाद मंगल फर्म का विक्रेता एवं भगवान प्रसाद पुत्र बृजमोहन को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। हेमन्त कुमार मंगल ने मौके पर फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar रखी थी। Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar खरीदकर उसकी कीमत 500/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम Mava Mithai [illegible] made from Mawa and Sugar को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी [illegible] बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर [illegible] डाली गई एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपका

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-3530 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-3530 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे हेमन्त कुमार मंगल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति हेमन्त कुमार मंगल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/1355 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4853/एक्ट/2024/4785 दिनांक 28.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar, **Sub Standard as the extracted fat does not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011. The Sample is also food Containing Extraneous Matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of Food Safety & Standard Act, 2006** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा Sub-Standard & Extraneous Matter, Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य [illegible] [illegible] कर [illegible] को

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित [illegible] प्रकरण जवाब पेश गया किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard & Extraneous Matter, Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी की दुकान से दिनांक 29.10.2024 को मावे की मिठाई का सेम्पल लेना दर्शाया है तथा अक्टूबर माह में पूर्वी राजस्थान में तापमान की बढोतरी रहती है जिसका सेम्पल लेते समय खाद्य निरीक्षक द्वारा ढंग से सेम्पल नहीं लिये है तथा रख रखाव सेम्पल का नहीं किया इस कारण मावा सेम्पल खाद्य निरीक्षक की लापरवाही के कारण घटिया बाहरी पदार्थ के रूप में आया है। जबकि एक सेम्पल अप्रार्थीगण को भी लेब में जांच के लिए दिया जाना आवश्यक था जिसकी कार्यवाही खाद्य निरीक्षक द्वारा नहीं की गई है। ना ही खाद्य निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी को अपने सेम्पल अन्य लेब में जांच करवाने का पत्र दिया है। अप्रार्थीगण द्वारा दूध से बनी मिठाई का विक्रय किया जाता है तथा छोटा दुकानदार है प्रतिदिन ताजा दूध खरीदकर दो किलो मावा विक्रय करता है और इनती ही मात्रा में प्रतिदिन मावा तैयार करता है। अप्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में छोटी दुकान संचालित है तथा ग्रामीणों द्वारा मीठा ज्यादा खाने के कारण शक्कर का उपयोग उनकी मांग के अनुसार मावे में मिलाई जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा मावे में कोई मिलावट नहीं की जाती है और शुद्ध मावे को ही विक्रय किया जाता है जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। विपक्षीगण के विरूद्ध सब स्टेण्डर्ड एक्टेनियस मेटर के आधार पर सेम्पल की जांच दी है जो तापमान कम ज्यादा होने के कारण हो सकती है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4853/एक्ट/2024/4785 दिनांक 28.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar, **Sub Standard as the extracted fat does not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011. The Sample is also food Containing Extraneous Matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of Food Safety & Standard Act, 2006** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस किए गए कथनों की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं लेब रिपोर्ट से नहीं होती है। आवेदक द्वारा दिनांक 29.10.24 को सेम्पल लिया गया तथा दिनांक 30.10.24 को लेब में जांच हेतु भिजवा दिया गया। लेब द्वारा दिनांक 26.11.24 से 28.11.24 के बीच सेम्पल का विश्लेषण किया गया। लेब रिपोर्ट अनुसार विश्लेषण के समय सेम्पल fit condition for analysis पाया गया है। लेब रिपोर्ट [illegible] स्पष्ट होता है कि मावा मिठाई में घी/मिल्क फेट के रूप में विदेशी वसा (Fore[illegible]at) [illegible] वनस्पति तेल, साथ ही पशु वसा उपस्थित हो सकती है) को प्रतिस्थापित (substitute) किया [illegible] अभियुक्त संख्या 1 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] के रजिस्टर्ड पत्रांक एफएसएसए/2024/1355 दिनांक 20.12.24 द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाते [illegible] जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन तक निर्धारित फार्म नं. 08 में आवेदन करने हेतु अवगत कराया गया था।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Mava Mithai Sweets made from Mawa and Sugar का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:50 IST
Reason: SelfAttested